

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन

अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक-4515007890600-24

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, झांसी, औरैया, जालौन, बाराबंकी,
मिर्जापुर, खीरी, कानपुर नगर, चित्रकूट, महोबा, इटावा, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात,
आजमगढ़, फतेहपुर, हाथरस तथा सहारनपुर।

संख्या: 1/शा0/64/2016-1/130/2016

लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 आयोजनागत मद में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 384.12 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-24/2016/1584 /33-3-2016-100(13)/2015 दिनांक 05.07.2016 द्वारा अनुदान संख्या-83 आयोजनागत मद में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनांतर्गत प्राविधानित धनराशि रू0400.00 लाख के सापेक्ष उक्त सदभित शासनादेश दिनांक 05.07.2016 के साथ संलग्न फॉट के कालग संख्या 9 में इंगित रू 38412000.00 (रुपया तीन करोड चौरासी लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

1-उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2-आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इस धनराशि को ग्राम पंचायत निधि में जमा कराकर व्यय किया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को नियमानुसार निर्धारित रूप पत्र पर उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता होने पर ही ग्राम पंचायत को धनराशि अवमुक्त की जाय एवं मानचित्र सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायगा।

4-उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5-उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत) के लेखाशीर्षक "4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायगा।

6-शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त ससाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7-प्रश्नगत योजना पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना से आच्छादित/स्वीकृत न हो और न ही किसी अन्य प्रस्तावित योजना से आच्छादित/स्वीकृत हो।

8-आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

9-आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

10- प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

11- बहुउद्देशीय पंचायत भवन के निर्माण की निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य की देखरेख एवं उसकी समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जनपद का नोडल अधिकारी प्रति माह निर्माण की प्रगति से निदेशालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 04.03.2017 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 151 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,


(अनिल कुमार दमेला)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:1/शा0/64/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.

2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।


4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।

7- उप निदेशक(पं0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

8- एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-15/07/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-64-2016-1-180-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-180-2016

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
2	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
4	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
5	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
6	जालौन-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
7	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
8	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
9	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
10	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
11	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
12	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
13	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
14	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
15	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
16	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
17	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
18	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
19	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
20	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
21	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
22	चित्रकूट-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 1746000	1746000 1746000
	योग	वर्तमान प्रगामी	38412000 38412000	38412000 38412000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):- रूपय तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार

महायोग- (प्रगामी
आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौरासी लाख बारह हजार

(12)

रूप० पी० रूम० थु० /

(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी